FORM No. III (प्रारूप संख्या-3)

जी.सी.एम.
2023/394

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

.... कैलाश चन्द .... बनाम .... भूमिधारी ....

किस्म मुकदमा .... नम्बर ..... 78/2023 ..... वर्ष ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व ता... जो इ... तामील...
	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 4/9/25 को पेश हो।	
04/09/25	वकुलाय उप०। प्रतिवादीगण की ओर से आदिनांक तक जवाब पेश नही हुआ। अतः न्यायहित में अप्रार्थीगण सं० 2 ता 10 का जवाब बन्द किया जाता है। वास्ते बहस मिसल दिनांक 24/9/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
24/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप0। प्रकरण में बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि का तहसीलदार के आदेशानुसार सीमाज्ञान दिनांक 24.06.2021 को करवा लिया हैं। अब प्रार्थी अपनी भूमि की चिन्हित सीमाओं के अनुसार पत्थरगढी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत प[illegible] मुताबिक अनुतोष स्वीकार फरमा[illegible] वकील अप्रार्थीगण ने सीमाज्ञान [illegible] हुए प्रार्थना पत्र पत्थरगढी खारिज फरमाने का [illegible] किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं सीमाज्ञान दिनांकित 24.06.2021 का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर सगौर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Yadav
Date: 2025.10.06 16:54:09
Reason: SelfAttested

मनन किया गया। चूंकि प्रार्थी सीमाज्ञान दिनांकित 24.06.2021 के मुताबिक अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि :—

आदेश

तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम दयाल की नांगल तहसील नीमकाथाना अवस्थित ख.नं. 487, 488, 489 कुल किता 03 कुल रकबा 1.28 है0 में प्रार्थी, सहखातेदारान तथा पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान दिनांकित 24.06.2021 पत्थरगढी की जावे तथा कृषि भूमि का एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 128, 111 मे वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए पत्थरगढ़ी करवाकर विवाद का निस्तारण करे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 24.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Yadav
Date: 2025.10.06 15:54:0
Reason: SelfAttested